तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हरिसिंह वगै० बनाम राज० सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
12/01/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 5/2/26 को पेश हो।	
05/02/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 23/02/26 को पेश हो।	
23/2/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप० पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25/3/26 को पेश हो।	
25/3/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 08/4/26 को पेश हो।	
8/4/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप० बहस हेतु समय चाहा है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 24/4/26 को पेश हो।	
24/4/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 04/5/26 को पेश हो।	
4/5/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप० अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 8/5/26 को पेश हो।	
8/5/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थी वापिस लिया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया है पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

RPU

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— 08 / 2022

1. हरी सिंह
2. प्रेमराज पुत्रान सामन्ता
3. राजवीर
4. लवकुश पुत्रान खैमा
5. द्रोपती वेबा खैमा
6. प्रताप
7. राजेश
8. लक्ष्मन पुत्रान दुरजन
9. डालचन्द
10. म्हाराज सिंह पुत्रान रामरूप
11. बन्टी
12. जसमत
13. जितेन्द्र पुत्रान कमल सिंह समस्त जातियान जाटव निवासी बाके ग्राम एक्टाखरैरा तहसील भरतपुर राज0।

.........प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये लैंण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उच्चैन।

..........असल अप्रार्थी

2. अतरसिंह पुत्र रूपा जाति जाटव निवासी मडौली तहसील व जिला भरतपुर।
3. अतरसिंह पुत्र भंवर जाति जाटव निवासी बिड्यारी तहसील बयाना जिला भरतपुर।
4. उर्मिला पत्नि गोविन्दसिंह
5. कमलेश पत्नि ताराचन्द जाति जाटव निवासी एक्टा खरैरा तह0 व जिला भरतपुर।
6. कल्लो पत्नि रामरूप जाति जाटव निवासी विड्यारी तहसील बयाना जिला भरतपुर।
7. कस्तूरी पत्नि शिवचरन
8. किशनदेई पत्नि बहादुरसिंह जाति जाटव निवासी एक्टा तहसील भरतपुर।
9. चन्दनिया पत्नि हेती जाति जाटव निवासी एक्टा खरैरा तहसील भरतपुर हाल आबाद विड्यारी तहसील बयाना।
10. चरन पुत्र मटरे जाति जाटव निवासी एक्टा खरैरा तहसील व जिला भरतपुर।
11. चिरौजी पुत्री रूपा जाति जाटव निवासी बिड्यारी तहसील बयाना।
12. जागरती पत्नि बाबूलाल जाति जाटव निवासी एक्टा खरैरा तहसील भरतपुर।
13. जियालाल दत्तक पुत्र रतन जाति जाटव निवासी बिड्यारी तह0 बयाना।
14. दौजी पुत्र सुक्खी जाति जाटव निवासी एक्टा खरैरा तह0 जिला भरतपुर।
15. दौलत सिंह पुत्र रामरूप जाति जाटव निवासी बिड्यारी तहसील बयाना।
16. नत्थीसिंह पुत्र गुलवी जाति जाटव निवासी एक्टा खरैरा तह0 व जिला भरतपुर।
17. परशादी पुत्र वसन्ता जाति जाटव निवासी रूंध खरका तह0 उच्चैन।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

18. नारायन पुत्र रूपा जाति जाटव निवासी मडौली तह0 व जिला भरतपुर।
19. पुष्पा पत्नि कुवंरसेन जाति जाटव निवासी एक्टा खरैरा तहसील व जिला भरतपुर।
20. फगुनी पुत्र रूपा जाति जाटव निवासी मडौली तह0 व जिला भरतपुर राज0।
21. फूलवती पत्नि लालचन्द
22. बतासो पत्नि हीरालाल
23. बाबूलाल पुत्र बिहारी
24. बाबूलाल पुत्र किशन लाल समस्त जातियान जाटव निवासी एक्टा खरैरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
25. भगवान सिंह पुत्र हेती जाजि जाटव निवासी बिड्यारी तह0 बयाना
26. भगवानसिंह पुत्र बिहारी लाल
27. मिठ्ठन पुत्र किशनलाल जाति जाटव निवासी एक्टा खरैरा तहसील व जिला भरतपुर।
28. मोतीराम पुत्र हेती
29. मोहनसिंह पुत्र बुद्धा
30. रमेश पुत्र हेती जाटव निवासी विड्यारी तहसील बयाना जिला भरतपुर।
31. राजेन्द्र पुत्र रत्तीराम जाति मूडिया तहसील बयाना जिला भरतपुर।
32. राजो पुत्री गिर्राज जाति जाटव निवासी मडौली तहसील व जिला भरतपुर।
33. रामकली पत्नि मिठ्ठनसिंह जाति जाटव निवासी एक्टा खरैरा तह0 व जिला भरतपुर।
34. रामकिशन पुत्र कजौडी जाति जाटव निवासी बिड्यारी तहसील बयाना जिला भरतपुर।
35. रामखिलाडी पुत्र मटरे जाति जाटव निवासी एक्टा खरैरा तह0 व जिला भरतपुर।
36. रामचरन पुत्र रूपा
37. राम विजय पुत्र गिर्राज जाति जाटव निवासी मडौली तहसील व जिला भरतपुर।
38. रामस्वरूप पुत्र रूपा
39. रामसिंह पुत्र नानगाराम जाति जाटव निवासी बिड्यारी तहसील बयाना।
40. लक्ष्मी पुत्री किशनलाल जाति जाटव निवासी पाली तहसील मण्डाबर जिला दौसा।
41. लटूरिया पुत्र मटरे जाति जाटव निवासी एक्टा खरैरा तह0 व जिला भरतपुर।
42. लौहरी पत्नि कजौडी जाति जाटव निवासी बिड्यारी तहसील बयाना।
43. विजेन्द्रसिंह पुत्र गुलवी जाति जाटव निवासी एक्टा खरैरा तहसील भरतपुर।
44. विशन पुत्र रत्तीराम जाति जाटव निवासी मुडिया तह0 बयाना।
45. श्यामलाल पुत्र रामरूप जाति जाटव निवासी भरतपुर जिला भरतपुर।
46. श्रीराम पुत्र गुलवी
47. शिवचरन पुत्र दौजी जाति जाटव निवासी एक्टा खरैरा तहसील भरतपुर।
48. सतीश पुत्र गिर्राज
49. सन्तो पत्नि गिर्राज जाति जाटव निवासी मडौली तह0 व जिला भरतपुर।
50. सुनीता पुत्री रत्तीराम जाति जाटव निवासी मूडिया तहसील बयाना।
51. सरवती पत्नि किशनलाल जाति जाटव निवासी एक्टा खरैरा तह0 व जिला भरतपुर।
52. हरफूल पुत्र वसन्ता जाति जाटव निवासी बिड्यारी तह0 बयाना हाल रूंध खरका।
53. हीरालाल पुत्र किशनलाल जाति जाटव निवासी एक्टा खरैरा तहसील भरतपुर।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

.............तरतीवी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए

उपस्थिति

1. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय **दिनांकः—08.05.2026**

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 53 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे की आराजी का पुराना खसरा 172/20.29.30.33 रकवा 104 बीघा 15 विस्वा बाके ग्राम रूंध खरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में स्थित है जिस आराजी का वर्तमान खसरा नम्बर 170, 171, 177, 178 हाल बन्दोवस्त किया गया है। उक्त वर्णित आराजी का प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में इन्द्राज है जिनका देहान्त हो चुका है प्रार्थीगण उनके विधिक वारिसान है उक्त आराजीयात के हाल राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 170, 171, 177, 178 हाल बन्दोवस्त में चार भागों में विभक्त किया गया है और अलग—अलग दिशाओं में राजस्व नक्शा में दर्ज किया है एवं खसरा नम्बर 177 को बिल्कुल विपरीत दिशा में दर्ज किया गया है जो कि खिलाफ मौका के दर्ज किया है खसरा नम्बर 177 के स्थान पर खसरा नम्बर 186 को दर्ज व अंकन किया है वहॉ पर पूर्व की स्थिति को बदलकर किया है चुंकि प्रार्थीगण व अप्रार्थी तरतीवी की उक्त आराजीयत पर एक प्लाट की शक्ल के रूप में पूर्वजों के समय से लेकर मौके पर आज भी कब्जा काश्त है। उक्त आराजीयत के भागों को परिवर्तित कर दूर—दूर कर दिया है एवं जहां खसरा नम्बर 186 का अंकन है उस भाग में उक्त आराजीयात की सिचांई के पॉच बोरिंग पूर्व से ही लगे हुये है। हाल राजस्व नक्शा सीट में खसरा नम्बर 186 को खिलाफ मौका व कानून के गलत दर्ज कर दिया है जबकि उक्त के स्थान पर खसरा नम्बर 177 का अंकन नक्शे में किया जाना बैधानिक रूप से आवश्यक है। जब प्रार्थी को नक्शे में हुयी अशुद्धि की जानकारी हुयी तो प्रार्थी के द्वारा उक्त नक्शे की शुद्धि हेतु तहसीलदार उच्चैन से निवेदन किया। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा उक्त शुद्धि के बाबत् सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के लिया कहा जिसके कारण प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश कर खसरा नम्बर 186 के स्थान पर पूर्व मौके एवं कब्जे के आधार पर खसरा नम्बर 177 को राजस्व नक्शे में दर्ज कर नक्शा सीट में शुद्धि किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 53 की तलबी जरिये अखबार साया करबायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 53 बाबजूद अखबार साया उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 12.11.2025 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया गया है कि वाके ग्राम रूंध खरका की जमाबंदी सम्बत् 2070—73 के खाता संख्या 116 पर दर्ज खसरा नम्बर 32 रकवा 8—14 बीघा खसरा नम्बर 150/29 रकवा 0—16बीघा खसरा नम्बर 151/29 रकवा 1—02बीघा ख.नं. 152/29 रकवा 1—04 बीघा ख.नं. 153/29 रकवा 1—07 बीघा ख.नं. 167/33 रकवा 1—14 बीघा ख.नं. 168/33 रकवा 1—16 बीघा ख.नं. 169/33 रकवा 1—06 बीघा ख.नं. 170/33 रकवा 1—09

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

बीघा ख.नं. 177/34 रकवा 31–07 बीघा ख.नं. 184/37 रकवा 50–00 बीघा ख.नं. 278/20–29 रकवा 6–06 बीघा ख.नं. 279/20–29 रकवा 2–18 बीघा ख.नं. 280/20–29 रकवा 4–03 बीघा खसरा नम्बर 283/20–33 रकवा 1–19 बीघा खसरा नम्बर 284/20–33 रकवा 4–18 बीघा खसरा नम्बर 285/20–29 रकवा 4–00 बीघा खसरा नम्बर 286/29–33 रकवा 4–15 बीघा खसरा नम्बर 287/29–33 रकवा 9–04 बीघा खसरा नम्बर 288/29–33 रकवा 2–19 बीघा खसरा नम्बर 289/20–29 रकवा 6–19 बीघा खसरा नम्बर 290/29–33 रकवा 4–09 बीघा खसरा नम्बर 291/29–30–33 रकवा 8–01 बीघा खसरा नम्बर 294/20–29–30–33 रकवा 104–15 बीघा कुल किता 24 कुल रकवा 266–01 बीघा किस्म कदीम जो कि हरफूल,परसादी पि. बसन्ता व.हि.बरा. 1/21 वगै. के नाम दर्ज रिकार्ड है जो कि पुराने नक्शा से खसरा नम्बर–20,29,30,33,34,37 में दर्ज है। उक्त नक्शे (पुराने) में किसी भी प्रकार की कोई तरमीम नहीं हो रखी उक्त सभी खसरों में काश्तकार मनवट/आपसी सहमति से काबिज काश्त करते आ रहे है। जमाबंदी संबत् 2070–73 के अनुसार खाता संख्या 121 पर दर्ज खसरा नम्बर 295/20–29–30–33 रकवा 63–09 बीघा किस्म कदीम जो कि ग्रामवासियों के द्वारा चराई अथवा दूसरे प्रयोजनों के लिये धारण की गई भूमि शामलात देह बिना बोयी गई भूमी के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिसल सन् 2010–2030 में जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता संख्या 116 पर दर्ज खसरा नम्बर निम्न प्रकार से दर्ज है– खसरा नम्बर 148/20–29 रकवा 6–06 बीघा खसरा नम्बर 149/20–29 रकवा 2–18 बीघा खसरा नम्बर 150/29 रकवा 0–16 बीघा खसरा नम्बर 151/29 रकवा 1–02 बीघा खसरा नम्बर 152/29 रकवा 1–04 बीघा खसरा नम्बर 153/29 रकवा 1–02 बीघा खसरा नम्बर 154/20–29 रकबा 4–03 बीघा खसरा नम्बर 160/20–33 रकबा 4–18 बीघा खसरा नम्बर 161/20–29 रकबा 4–00 बीघा खसरा नम्बर 159/20–33 रकबा 1–19 बीघा खसरा नम्बर 162/29–33 रकबा 4–15 बीघा खसरा नम्बर 163/29–33 रकबा 9–04 बीघा खसरा नम्बर 164/29–33 रकबा 2–19 बीघा खसरा नम्बर 165/20–29–33 रकबा 6–19 बीघा खसरा नम्बर 166/29–33 रकबा 4–09 बीघा खसरा नम्बर 172/20–29–30–33 रकबा 104–15 बीघा खसरा नम्बर 169/33 रकबा 1–06 बीघा खसरा नम्बर 170/33 रकबा 1–09 बीघा खसरा नम्बर 168/33 रकबा 1–16 बीघा खसरा नम्बर 167/33 रकबा 1–14 बीघा खसरा नम्बर 171/20–30–33 रकबा 8–05 बीघा खसरा नम्बर 32 रकबा 8–14 बीघा खसरा नम्बर 34 मिन रकबा 31–07 बीघा खसरा नम्बर 37 मिन रकबा 50–00 बीघा कुल किता 24 रकबा 266 बीघा जो कि हरफूल, परसादी पिस. बसन्ता व. हि. बराबर 1/21 वगै. के नाम कस्टोडियन खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2075–78 में दर्ज खाता संख्या 121 पर दर्ज खसरे निम्न प्रकार से है– खसरा नम्बर 145 रकवा 1.02है0 खसरा नम्बर 146 रकवा 0.47है0 खसरा नम्बर 147 रकवा 0.13है0 खसरा नम्बर 148 रकवा 0.18है0 खसरा नम्बर 149 रकवा 0.19है0 खसरा नम्बर 150 रकवा 0.18है0 खसरा नम्बर 151 रकवा 0.67है0 खसरा नम्बर 162 रकवा 0.79है0 खसरा नम्बर 163 रकवा 0.64है0 खसरा नम्बर 164 रकवा 0.32है0 खसरा नम्बर 165 रकवा 0.77है0 खसरा नम्बर 166 रकवा 1.49है0 खसरा नम्बर 167 रकवा 0.48है0 खसरा नम्बर 168 रकवा 1.13है0 खसरा नम्बर 169 रकवा 0.72है0 खसरा नम्बर 170 रकवा 8.52है0 खसरा नम्बर 171 रकवा 2.55है0 खसरा नम्बर 172 रकवा 0.21है0 खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

173 रकवा 0.24है0 खसरा नम्बर 174 रकवा 0.29है0 खसरा नम्बर 175 रकवा 0.27है0 खसरा नम्बर 176 रकवा 0.30है0 खसरा नम्बर 177 रकवा 0.95है0 खसरा नम्बर 178 रकवा 4.95है0 खसरा नम्बर 180 रकवा 1.41है0 खसरा नम्बर 190 रकवा 5.06है0 खसरा नम्बर 192/238 रकवा 1.91है0 खसरा नम्बर 194 रकवा 6.19है0 किता 28 रकवा 43.02है0 जो कि हरफूल,परसादी पिस. बसन्ता बगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है वर्तमान में उक्त सभी खसरों पर माननीय न्यायालय एसीएम साहब उच्चैन व एडीम साहब भरतपुर का मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन नोट लगा हुआ है। पुराना खसरा नम्बर 295/20-29-30-33 रकबा 63-09 बीघा जिससे नये खसरा मुताबिक जमाबंदी संवत 2075-78 के अनुसार खसरा नम्बर 242/185 रकबा 2.56 हैक्टे. किस्म बारानी 3 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविदयालय उच्चैन के नाम दर्ज रिकार्ड है व खसरा नम्बर 244/243 रकबा 2.15 हैक्टे. किस्म बारानी 3 जो कि राजकीय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थान उच्चैन के नाम दर्ज रिकार्ड है व खसरा नम्बर 245/243 रकवा 0.24है0 किस्म बरानी 3 जोकि ग्रामवासियों द्वारा चराई अथवा दुसरे प्रयोजनों सम्मलित प्रयोजनों के लिये धारण की शामलात देह हिस्सा पूर्ण के नाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी खसरा नम्बर 186 रकवा 5.32है0 किस्म बरानी 3 जोकि कृषि मंडी समिति उच्चैन के नाम दर्ज रिकार्ड है। पुराना नक्शा व नये सैटलमेंन्ट नक्शे में भिन्नता है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण का निस्तारण पटवार स्तर पर संभंब नहीं है। उक्त प्रकरण का निस्तारण सैटलमेन्ट विभाग द्वारा रीसर्वे के द्वारा किया जाना उचित होगा।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 170, 171, 177, 178 है जिसका साबिक नम्बर 294/20-29-30-33 रकवा 104-15 बीघा है। उक्त आराजी पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से ही मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है परन्तु हाल बन्दोबस्त के दौरान उक्त आराजी को चार भागों में विभक्त कर खिलाफ मौका एवं कानून के राजस्व नक्शा में अंकन कर दिया गया है। हाल बन्दोबस्त में जिस स्थान पर खसरा नम्बर 186 का अंकन किया गया है उस स्थान पर प्रार्थी मौके पर काबिज है एवं प्रार्थी के सिंचाई हेतु पॉच बोरिंग लगी हुयी है। खसरा नम्बर 186 के स्थान पर खसरा नम्बर 177 का अंकन मुताबिक मौका एवं कब्जा कर राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र,शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2075-78 बाके ग्राम रूंध खरका एवं नक्शा ट्रेस सन् 1985 एवं सन् 2005 का अवलोकन किया गया। पुराने राजस्व नक्शे में किसी भी प्रकार की कोई तरमीम नहीं हो रखी है एवं हाल बन्दोबस्त के दौरान बनाये गये नक्शा ट्रेस में सभी खसरा नम्बरान की तरमीम हो रखी है एवं खसरा नम्बर 186 रकवा 5.32है0 किस्म बरानी 3 जोकि कृषि मंडी समिति उच्चैन के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 177 रकवा 0.95है0 जो कि हरफूल,परसादी पिस. बसन्ता बगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 186 एवं खसरा नम्बर 177 के रकवा में भिन्नता है। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी का खसरा नम्बर 186 में मौके पर कब्जा होने का कोई अंकन नहीं है एव ना ही तहसीलदार उच्चैन के द्वारा खसरा नम्बर 186 के स्थान पर खसरा नम्बर 177 का अंकन

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

राजस्व नक्शे में किये जाने की कोई अभिशंषा की गई है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया(आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)